

कार्यालय जिलाधिकारी, कन्नौज।

सं० 131 / खनन लिपिक / सूचना / 2017,

दिनांक जून 20, 2017

कार्यालय ज्ञाप

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कन्नौज में नदी तल में उपलब्ध रिक्त नौ क्षेत्रों क्रमशः 1-कटरी दुर्जनापुर, 2-कटरी-गौरी खण्ड-1, 3-कटरी गौरी खण्ड-2, 4-कटरी जलेसर अलीपुर खण्ड-1, 5-कटरी जलेसर अलीपुर खण्ड-2, 6-सादिकपुर अलियापुर, 7-दरियापुर पट्टी 8-कटरी सददूपुर, 9- बारामऊ कछोहा को 6 माह की अल्प अवधि के लिये ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के लिये दिनांक 23.6.2017 से 3.7.2017 तक के लिये कार्यालय पत्र संख्या- 128/खनिज लिपिक/ई-टेण्डर-बालू/2017, दिनांक 18.6.2017 द्वारा निविदायें आमंत्रित की गयी थी जो दिनांक 20.6.2017 के दैनिक जागरण एवं अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित हुयी हैं। शासन की नई खनन नीति के आलोक में अब उक्त सभी स्थलों हेतु उपरोक्त आमंत्रित निविदाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(जगदीश प्रसाद)
जिलाधिकारी,
कन्नौज।

सं० व दिनांक उपरोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- १- अपर जिलाधिकारी(वि/रा)/प्रभारी अधिकारी(खनन) कन्नौज।
 - २- खनन अधिकारी, कन्नौज ।
 - ३- जिला सूचना अधिकारी, कन्नौज को निःशुल्क सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
 - ४- ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण/अमर उजाला को उपरोक्तानुसार कार्यालय ज्ञाप को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
 - ५- नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट कन्नौज को नोटस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

6/24 20/6/17
(जगदीश प्रसाद)
जिलाधिकारी,
कन्नौज।

MIC KM